उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 अंक 22 16-30 नवंबर 2022 ₹ 20/-

फीफा विश्व कप की आड़ में इस्लाम का प्रचार

- मंगलूरु धमाके के पीछे पॉपुलर फ्रंट
- अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू
- ईरान में उग्र प्रदर्शन जारी
- इंडोनेशिया में विशाल मस्जिद का निर्माण

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मंगलूरु धमाके के पीछे पॉपुलर फ्रंट 05
जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध पर ववाल 08
टीपू सुल्तान फिर विवादों के घेरे में 10
तब्लीगी मरकज की चाभी मौलाना साद के हवाले करने का निर्देश 11
गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोतों की जांच 12

विश्व

अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू 14
आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख 16
अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मनोनीत 17
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बंद 18
फ्रांस का सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास 19

पश्चिम एशिया

फीफा विश्व कप की आड़ में इस्लाम का प्रचार 20
सऊदी अरब और थाइलैंड के बीच राजनयिक संबंध 23
ईरान में उग्र प्रदर्शन जारी 24
इराक में ईरान और तुर्की के हवाई हमले का विरोध 25
लीबिया से घुसपैठिए निष्कासित 25

अन्य

इंडोनेशिया में विशाल मस्जिद का निर्माण 26
दिल्ली नगर निगम चुनाव में मुस्लिम मजलिस के 15 उम्मीदवार 26
भोपाल में तब्लीगी जमात का इज्तिमा 27
पाकिस्तान के मुफ्ती आजम का निधन 27
गैर-मुस्लिम बच्ची ने कुरान पाठ की प्रतियोगिता जीती 27

सारांश

कतर हालंकि एक छोटा सा देश है, मगर उसने फीफा विश्व कप का इस्तेमाल इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए जिस तरह से किया है, उसकी देश के उर्दू अखबारों में गरमा-गरम चर्चा हो रही है। मैच प्रारंभ होने से पूर्व गैर-मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए एक जोरदार अभियान चलाया गया, जिसमें भाग लेने के लिए विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को विशेष रूप से बुलाया गया था। समाचारपत्रों के अनुसार मैच प्रारंभ होने से पहले 850 से अधिक गैर-मुसलमानों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। पूरे देश में कुरान और हदीस के उद्धरण हजारों की संख्या में लगाए गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फुटबॉल मैच की प्रतियोगिता की शुरुआत कुरान की तिलावत (पाठ) से शुरू हुई हो। पूरे देश में शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पूरे माहौल को विशुद्ध रूप से इस्लामी रूप दे दिया गया। जब भी नमाज की अजान होती थी, तो अजान समाप्त होने तक चल रहे खेल को रोक दिया जाता था।

इस प्रतियोगिता में कतर के अमीर ने अरब जगत के सभी दिग्गज नेताओं को बुलाया। भारत सरकार ने जाकिर नाइक को इस प्रतियोगिता में निमंत्रण देने पर आपत्ति की थी। मगर कतर ने यह स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने जाकिर नाइक को कोई आमंत्रण नहीं दिया था। हालांकि यह हकीकत है कि मैच के उद्‌घाटन समारोह में जाकिर नाइक मौजूद था। उर्दू समाचारपत्रों ने कतर के शासकों को महिमामंडित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस संदर्भ में उन्होंने नूपुर शर्मा की पैगम्बर पर टिप्पणी के विरोध में कतर की भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

समाचारपत्रों का यह भी कहना है कि कतर के शासकों में इस्लाम, कुरान और रसूल पाक की मोहब्बत इस कदर भरी हुई है कि उन्होंने पश्चिमी देशों की आलोचनाओं को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। समाचारपत्रों का यह भी कहना है कि कतर के अमीर ने इस मैच को विशुद्ध इस्लामिक रूप इसलिए दिया, ताकि वे इस्लामिक जगत में इस्लाम के सच्चे अनुयायी के रूप में उभर सकें।

अफगानिस्तान में तालिबान ने शरिया कानूनों को पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा कर दी है। इन कानूनों के तहत पैगम्बर, कुरान और इस्लाम का अपमान करने वाले लोगों, तस्करों, विद्रोहियों और बलात्कारियों को सार्वजनिक रूप से सिर काट कर दंड देने की व्यवस्था है। यदि कोई अवैध यौन संबंधों में लिप्त पाया जाए तो उसे सार्वजनिक रूप से पत्थर मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की भी सजा दी जाती है। खास बात यह है कि इन सजाओं पर अमल करना भी लागू हो गया है। हाल ही में डेढ़ दर्जन के लगभग महिलाओं और पुरुषों को कोड़े मारने की सजा दी गई।

तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने देश के सभी न्यायाधीशों को यह निर्देश दिया है कि वे शरिया कानूनों का सख्ती से पालन करें। जब इस तरह के सख्त कानून लागू करने की संयुक्त राष्ट्र संघ ने आलोचना की तो तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने उन्हें चेतावनी दी कि वे इस्लाम में किसी तरह का हस्तक्षेप न करें। हम इस्लाम और शरिया का अपमान किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। इससे पूर्व तालिबान महिलाओं के बिना बुर्का पहने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को नौकरी करने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। सभी सार्वजनिक स्थानों और पार्कों के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए हैं।

खास बात यह है कि तालिबान ने अपने शासनकाल के पहले कार्यकाल में भी इन शरिया कानूनों को सख्ती से लागू किया था। मगर इस बार सत्ता संभालने से पूर्व तालिबान ने यह घोषणा की थी कि वे इन शरिया कानूनों को सख्ती से लागू नहीं करेंगे। मगर अब उन्होंने पुरानी नीति का ही अनुसरण करना शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सेना की बागडोर संभाल ली है। आसिम मुनीर को कट्टरपंथी माना जाता है। इससे पूर्व वे पाकिस्तान की कुख्यात गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के प्रमुख रह चुके हैं, इसलिए भारत को विशेष रूप से पाकिस्तान के इरादों के बारे में चौकन्ना रहने की जरूरत है।

भारत में इस्लामिक आतंकवादियों ने पुनः सिर उठाना शुरू कर दिया है। हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु में जो धमाके हुए हैं, उनके बारे में जांच एजेंसियों को संदेह है कि इनके तार इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और पॉपुलर फ्रंट आदि से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट और उसके सहयोगी संगठनों के खतरनाक मंसूबों को भांपते हुए उन पर प्रतिबंध लगा चुकी है। मगर इस प्रतिबंध के बावजूद ये आतंकवादी संगठन दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा से सटे क्षेत्रों में कार्यरत इस्लामिक मदरसों के आर्थिक स्रोतों के बारे में विस्तृत जांच करवाने का निर्णय किया है। कहा जाता है कि इन्हें विदेशी स्रोतों और जकात से भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। खास बात यह है कि हाल के कुछ वर्षों में नेपाल की सीमा से सटे भारतीय क्षेत्रों में इस्लामिक मदरसों, दरगाहों और मस्जिदों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। नेपाल में पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई की बढ़ती गतिविधियों को नजरअंदाज करना राष्ट्रहित में नहीं होगा। कहा जाता है कि इन विदेशी स्रोतों से इन इस्लामिक संस्थानों को गुप्त रूप से काफी आर्थिक सहायता मिल रही है। इस संबंध में सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है।

विवादित तब्लीगी जमात के केंद्रीय मरकज को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के पुनः हवाले किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने इस केंद्र को सीलबंद कर दिया था। सरकार ने यह दावा किया था कि तब्लीगी जमात के सम्मेलन में आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों के चलते देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। इस सिलसिले में तब्लीगी जमात के कई प्रतिनिधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था।

देशवासी तब्लीगी जमात की पृष्ठभूमि से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। इसलिए उस पर कुछ प्रकाश डालना भी जरूरी है। आर्य समज ने स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में जब शुद्धि आंदोलन चलाया था तो उसके जवाब में मौलाना इल्यिास कांधलवी ने तब्लीगी जमात की शुरुआत की थी। अब इस संगठन का जाल विश्व के 120 देशों में फैल चुका है और इसके अनुयायियों की संख्या दस करोड़ से भी अधिक बताई जाती है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि तब्लीगी जमात इस्लामिक आतंकवाद का मुख्य अड्डा है।

विवादित इस्लामिक शासक टीपू सुल्तान एक बार फिर विवादों में है। कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेंगलुरु नगर के संस्थापक केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसके जवाब में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने यह घोषणा कर दी कि वे टीपू सुल्तान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाएंगे। पूर्व कांग्रेसी मंत्री तनवीर सैत ने यह घोषणा की कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान का कोई स्मारक मौजूद नहीं है, इसलिए मैसूर एवं श्रीरंगपट्टनम में उनका एक स्मारक बनाया जाना बेहद जरूरी है। उनकी इस घोषणा का विरोध कुछ हिंदू संगठनों ने किया। उनका कहना है कि टीपू सुल्तान धर्मांध शासक था और उसने कूर्ग में हिंदुओं की सामूहिक हत्या करवाई थी, जिसके शोक में आज भी वहां दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता।

मंगलूरु धमाके के पीछे पॉपुलर फ्रंट

इंकलाब (21 नवंबर) के अनुसार कर्नाटक के मंगलूरु में एक ऑटो रिक्शा में हुए धमाके को पुलिस ने आतंकवादी घटना करार दिया है। इस धमाके में तीन लोग जख्मी हुए थे। पुलिस प्रवक्ता ने यह संदेह व्यक्त किया है कि इस धमाके के पीछे प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट का हाथ होने की संभावना है। इसलिए राज्य सरकार ने इस धमाके की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 नवंबर) के अनुसार कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक परवीन सूद ने कहा है कि मंगलूरु ऑटो रिक्शा धमाके के तार कोयम्बटूर बम धमाके से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम इस मामले की जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई है। पुलिस ने यह दावा किया है कि इस घटना के आरोपी की पहचान हो गई है। उसका नाम मोहम्मद शारिक है और उसकी उम्र 24 वर्ष है। इससे पहले भी इस पर आतंकवाद के कई मुकदमे चल रहे हैं और मंगलूरु विस्फोट के पीछे भी उसका हाथ है। पुलिस ने मैसूर स्थित मोहम्मद शारिक के घर की तलाशी लेकर जिलेटिन पाउडर, सर्किट बोर्ड बैटरी, मोबाईल, एल्युमिनियम के तार बोर्ड और प्रेशर कुकर को बरामद किया है। आरोपी यहां पर एक किराए के मकान में रहता था और उसने अपने मकान मालिक को बताया था कि वह मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए यहां आया है।

कर्नाटक के गृहमंत्री अरागा ज्ञानेन्द्र ने भी इसे आतंकवादी घटना बताया है और कहा है कि राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी मिलकर इस मामले की जांच कर रही है। मंगलूरु पुलिस की जांच के अनुसार घायल यात्री प्रेम राज कनोगी के पास जाली आधार कार्ड बरामद हुआ है। उसके कब्जे से एक सिम कार्ड भी बरामद हुआ है, जो इसने दक्षिण भारत की एक दुकान से इसी फर्जी आधार कार्ड के उपयोग से खरीदा था। पुलिस इस

सिम कार्ड के आधार पर इस पूरे गिरोह का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस धमाके के सिलसिले में कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस के बीच बातचीत हुई है।

गौरतलब है कि कोयम्बटूर धमाके में जमीशा मुबीन नामक एक व्यक्ति मारा गया था और उसके घर की तलाशी लेने के बाद वहां से बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई थी। कर्नाटक के गृहमंत्री ने कहा कि इस धमाके के पीछे पॉपुलर फ्रंट का हाथ होने की संभावना है।

हमारा समाज (23 नवंबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलूरु बम कांड के आरोपी अब्दुल मतीन ताहा के बारे में सूचना देने वाले को तीन लाख रुपये ईनाम देने की घोषणा की है। मतीन की मां ने बताया कि मेरा बेटा पिछले तीन वर्ष से लापता है और मुझे नहीं मालूम की वह कहां है? उसने बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। पुलिस के अनुसार शारिक और मतीन एक दूसरे के दोस्त हैं और वे एक ही नगर के रहने वाले हैं। मतीन की उम्र 28 वर्ष बताई जाती है। मतीन सेवानिवृत्त सैनिक मंजूर अहमद का बेटा है।

सियासत (21 नवंबर) ने अपने संपादकीय में इस धमाके पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि कर्नाटक में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। पुलिस और मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि यह एक आतंकवादी घटना है और उन्होंने यह भी संदेह व्यक्त किया है कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के नगर कोयम्बटूर में हुए धमाके के साथ इसके भी तार जुड़े हुए हैं।

संपादकीय में कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी को दोषी ठहराना सरासर गलत है। क्योंकि ऐसा होने से जो वास्तविक आतंकवादी हैं, वे कानून के शिकंजे से बच सकते हैं। मूल समस्या यह है कि जांच एजेंसियों ने एक फॉर्मूला तय कर रखा है, जिसके तहत वे किसी भी घटना के तार कुछ संगठनों से जोड़ देती हैं और जांच को मनमाने ढंग से मोड़ देती हैं। इस तरह की घटनाओं से किसी तरह का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक में पहले ही नित-नए विवादों को भड़काया जा रहा है। पहले हिजाब के मामले पर हंगामा किया गया। इसके बाद हलाल का मुद्दा उठाया गया। इसके बाद मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का मुद्दा उछला। कुछ लोगों और संगठनों की ओर से इस बहाने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जाए। राज्य में आने वाले चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण का जो प्रयास हो रहा है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार और पुलिस की यह जिम्मेवारी है कि वे हालात को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले और सांप्रदायिकता भडकाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखे।

पृष्ठभूमि : दिवाली से एक दिन पूर्व तमिलनाडू के कोयम्बटूर नगर के विख्यात मंदिर संगमेश्वर के बाहर एक कार में धमाका हुआ था। उसके बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया। क्योंकि इस घटना के पीछे इस्लामिक

आतंकवादियों का हाथ होने का संदेह था, इसलिए तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने इस घटना की जांच के लिए छह विशेष टीमों का गठन कर दिया। बाद में यह पता चला कि इस घटना का मास्टरमाइंड 29 वर्षीय जमीशा मुबीन है। उसकी फ्लैट की तलाशी लेने पर पुलिस को बम बनाने की 75 किलो सामग्री हाथ लगी।

बाद में पुलिस जांच के अनुसार इस गिरोह में अन्य पांच लोगों के शामिल होने की भी जानकारी मिली। इनमें मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अजहरूद्दीन, मोहम्मद रियाज, फिरोज इस्माइल और मोहम्मद नवाज इस्माइल शामिल हैं। सीसीटीवी फूटेज का विश्लेषण करने के बाद इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इनके खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खास बात यह है कि मुख्य आरोपी फरार हो गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तीन लाख ईनाम की घोषणा की है।

विपक्षी दल एआईएडीएमके और भाजपा ने इस घटना के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेवार ठहराया है। भाजपा के नेता और पूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन और कोयम्बटूर की विधायक वनाथी श्रीनिवासन ने एक दिन के बंद की घोषणा की। मगर बाद में उन्होंने बंद को वापस ले लिया। इस घटना की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोयम्बटूर में एक अस्थाई कार्यालय भी स्थापित किया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह दावा किया कि यह धमाका उपासना स्थल को क्षतिग्रस्त करने के लिए किया गया था, ताकि इस बहाने राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा सके। उन्होंने मुबीन का संबंध आईसआईएस से बताया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया है कि उन्होंने बम बनाने की सामग्री जुटाने में मुबीन की सहायता की थी। इस घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु और केरल में अनेक स्थानों पर छापा मारा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि इस आतंकवादी गिरोह का पता लगाने के लिए तमिलनाडु और केरल में 43 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। इस छापे के दौरान काफी आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई हैं। केरल में इस संबंध में शेख मुस्तफा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि रियाज अबुबकर का संबंधी है, जिसे 2019 में इस्लामिक स्टेट और पॉपुलर फ्रंट से संबंध रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी श्रीलंका में हुए एक धमाके के सिलसिले में की गई थी, जिसमें लगभग सौ लोग मारे गए थे। ■

जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध पर बवाल

औरंगाबाद टाइम्स (25 नवंबर) के अनुसार दिल्ली की जामा मस्जिद में अकेली लड़की या लड़कियों के दाखिले पर उठे विवाद पर दिल्ली की महिला आयोग ने जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी को एक नोटिस जारी किया था। आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा था कि लड़कियों के मस्जिद में प्रवेश पर इस तरह का प्रतिबंध लगाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर, जामा मस्जिद के प्रबंधकों ने यह स्पष्ट किया कि मस्जिद में सिर्फ अकेली लड़की या लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। मगर अगर कोई लड़की अपने परिवार के साथ आती है या नमाज अदा करने के लिए आती है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

गौरतलब है कि जामा मस्जिद के दरवाजों पर कुछ नोटिस बोर्ड लगाए गए थे, जिन पर लिखा गया था कि जामा मस्जिद में अकेली लड़की या लड़कियों के दाखिले पर प्रतिबंध है। ये नोटिस बोर्ड एक सप्ताह पूर्व लगाए गए थे। जब इनके फोटो वायरल हुए तो उस पर बवाल खड़ा हो गया। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को रोकना बिल्कुल गलत है। इबादत करने का जितना अधिकार एक पुरुष को है, उतना ही अधिकार एक महिला को भी है।

जामा मस्जिद के जन संपर्क अधिकारी सबीउल्लाह खान ने एक संवाद समिति को बताया कि महिलाओं के प्रवेश पर रोक नहीं लगाई गई है। जो अकेली लड़कियां यहां आती हैं, वे अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए यहां बुलाती हैं और यहां गलत हरकतें होती हैं। यहां पर वीडियो बनाई जाती हैं, जो कि मस्जिद के सम्मान के खिलाफ है। इसी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगर महिलाएं अपने परिवारों के साथ आती हैं तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शादीशुदा जोड़े भी आ सकते हैं। मगर किसी लड़के को टाइम देकर यहां बुलाया जाता है, तो इसे मीटिंग प्वाइंट बनाना सरासर गलत है। वीडियो बनाना और डांस करना भी मस्जिद में सही नहीं है। प्रतिबंध लगाने का हमारा एकमात्र लक्ष्य यह है कि मस्जिद कोई टुरिस्ट स्पॉट नहीं है और न ही प्रेमियों का मिलन स्थल है। यह इबादतगाह है और इसे उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए।

अवधनामा (25 नवंबर) के अनुसार दिल्ली की जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों के दाखिले पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, वह दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के निर्देश पर वापस ले लिया गया है। हालांकि मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने यह अपील की है कि मस्जिद में आने वाले लोग इस स्थान के सम्मान को बरकरार रखें।

इंकलाब (24 नवंबर) के अनुसार जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने संवाददाताओं को बताया कि उनकी दिल्ली के उपराज्यपाल से टेलीफोन पर बातचीत हुई थी और उन्होंने इस पाबंदी को हटाने का फैसला किया है। हिंदू महासभा जैसे कुछ हिंदू संगठन भी इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे थे और उन्होंने इस संबंध में इमाम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी। समाचारपत्र ने कहा है कि मस्जिद में अकेली लड़कियों के दाखिले पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे कुछ लोग राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। वे दिल्ली नगर निगम के चुनाव में इसे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं।

जब पूरे मामले पर शाही इमाम से इंकलाब के प्रतिनिधि ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की या महिला इबादत या जियारत के लिए यहां आती है, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मगर अगर कोई लड़की हाथ में गुलाब का फूल लेकर आए और कहे कि मुझे यहां बॉयफ्रेंड से मिलना है और हमारा यहां मिलने का समय तय है तो हम इसकी हरगिज अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने उपराज्यपाल को यह स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि हम मस्जिद को अश्लील गतिविधियों का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। क्योंकि ऐसी हरकतों से उपासना स्थलों की मर्यादा भंग होती है। उपराज्यपाल ने मेरे कथन से सहमति प्रकट की है। शाही इमाम ने कहा कि मस्जिद में अनुचित और अश्लील हरकतों पर पाबंदी रहेगी। मस्जिद का सम्मान और उसके गौरव को बरकरार रखना हम सब लोगों की जिम्मेवारी है।

इमाम ने कहा कि हमारे समाज में जो बुराईयां फैल रही हैं, उनको रोकना मां-बाप की जिम्मेवारी है। आज लोगों ने अपनी लड़कियों और लड़कों को यह आजादी दे दी है कि वे जब चाहे आएं और जो मर्जी हो, वह करें। अब अय्याशी और शराब पीना बिल्कुल आम हो गया है। छोटी उम्र के लड़के-लड़कियां खुलकर शराब पी रहे हैं। मां-बाप को उन्हें ऐसी हरकतों से रोकना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब उन्होंने मस्जिद में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था तो इलाके के सभी लोगों ने उसका समर्थन किया था।

मुस्लिम चिंतक प्रो. अख्तरुल वासे ने इस विवाद को गैरजरूरी बताया है। उनका कहना है कि मस्जिद उपासना का स्थान है। प्रेमियों का मिलन स्थल नहीं। इसकी पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए। जब शाही इमाम ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी तो इसे विवादित मुद्दा बनाना उचित नहीं था। जब मस्जिद के प्रबंधकों ने परिसर में होने वाली अश्लील हरकतों का नोटिस लिया, तभी उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया। दिल्ली के महिला आयोग ने जो नोटिस दिया था वह सरासर अनुचित था और वह नोटिस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिया गया था।

टीपू सुल्तान फिर विवादों के घेरे में

सियासत (19 नवंबर) के अनुसार कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेसी विधायक तनवीर सैत ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तनवीर हाल ही में विवादों के घेरे में तब आए, जब उन्होंने यह घोषणा की कि वे टीपू सुल्तान की 108 फीट उंची प्रतिमा मैसूर या श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करेंगे। इस घोषणा के बाद उन्हें कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू संगठन और शासक दल राजनीतिक लाभ के लिए 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान को बदनाम करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसलिए वे टीपू की एक प्रतिमा स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि इस्लाम में प्रतिमा बनाने की अनुमति नहीं है। मगर वर्तमान हालात में यह जरूरी है कि देश के लिए शहीद होने वाले शासक के खिलाफ जो निरंतर दुष्प्रचार चल रहा है, उसके निराकरण के लिए इस सेक्युलर शासक की एक प्रतिमा स्थापित की जाए।

गौरतलब है कि काफी समय से भाजपा टीपू सुल्तान के खिलाफ अभियान चला रही है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि टीपू एक धर्मांध जुनूनी था और उसने ब्राह्मणों की सामूहिक हत्या की। जब कांग्रेस सरकार ने टीपू जयंती मनाने की घोषणा की थी तो भाजपा ने इसका विरोध किया था, जिस पर राज्य सरकार को टीपू की जयंती मनाने का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था।

इंकलाब (17 नवंबर) के अनुसार भाजपा और हिंदू संगठनों ने टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगाने का विरोध किया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण ने टीपू सुल्तान की प्रतिमा स्थापित करने के फैसले की निंदा की है। इसके अतिरिक्त हिंदूवादी संगठन श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा है कि अगर कहीं भी टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगाई गई तो वे उसे तोड़ देंगे। गौरतलब है कि प्रमोद मुतालिक इससे पूर्व मंगलूरु के एक पब पर हमला करके तोड़-फोड़ कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिल्ली में विवादित चित्रकार एम.एफ. हुसैन के चित्रों को भी नुकसान पहुंचाया था।

रोजनामा सहारा (24 नवंबर) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार टीपू सुल्तान के बारे में कन्नड भाषा में प्रकाशित एक पुस्तक की बिक्री और वितरण पर मैसूर की एक अदालत ने अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध बेंगलुरु की एक अदालत में जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बी.एस. रफीउल्लाह की एक याचिका के बाद लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि इस पुस्तक में टीपू सुल्तान के बारे में गलत जानकारी दी गई है और इससे सांप्रदायिक तनाव फैलने की संभावना है।

तब्लीगी मरकज की चाभी मौलाना साद के हवाले करने का निर्देश

इंकलाब (29 नवंबर) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने तब्लीगी जमात के मरकज को बंद रखने के लिए दिल्ली पुलिस की याचिका को रद्द कर दिया है और उसे यह निर्देश दिया है कि वह इस भवन की चाभी मौलाना साद के हवाले करे। अदालत ने कहा है कि अब कोरोना का कोई खतरा नहीं है, इसलिए यह बिल्डिंग तब्लीगी जमात को वापस सौंपी जानी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह मामला मिल्कियत का नहीं बल्कि बिल्डिंग को खोलने का है।

अदालत ने यह फैसला दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर दिया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने अदालती फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। जबकि वक्फ बोर्ड के वकील वजीह शफीक ने कहा है कि यह मामला इतना गंभीर नहीं था जितना उसे बना दिया गया। अब भी सरकार की यह कोशिश थी कि इस भवन को सीलबंद रखा जाए। तब्लीगी मरकज के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद सुहाब अली ने अदालत से अनुरोध किया कि अब दिल्ली में कोरोना नहीं है, इसलिए किसी धार्मिक संस्थान को बंद रखना सरासर गलत है। यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिया। दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इस भवन की मिल्कियत पर विवाद है। इस पर अदालत ने कहा कि हमारे सामने मिल्कियत का मुद्दा नहीं है। आपने जिससे कब्जा लिया था, उसे वापस करें। पुलिस जो शर्त लगानी चाहती है वह लगाए। मगर इस भवन की चाभी मौलाना को वापस सौंप दें।

गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड ने 21 फरवरी 2021 को उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी, जिसका आज फैसला सुनाया गया है। कोरोना की महामारी शुरू होने पर प्रशासन ने यह दावा किया था कि तब्लीगी जमात के अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो विदेशी भारत आए थे, उनके कारण देश में कोविड की महामारी फैली है। इसके बाद प्रशासन ने भारत के अनेक भागों में छापा मारकर तब्लीगी जमात के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था और तब्लीगी मरकज को सील कर दिया था। केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद दिल्ली उच्च न्यायालय ने रमजान के दौरान तब्लीगी मरकज को खोलने की अनुमति दे दी थी।

गैर–मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोतों की जांच

इंकलाब (22 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों ने यह जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पर भारी संख्या में गैर-मान्यता प्राप्त इस्लामिक मदरसे हैं और इनके पास विदेशों से चंदा और जकात की काफी धनराशि आती है। इसलिए उसकी उच्चस्तरीय जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नेपाल की सीमा पर 1000 से ज्यादा गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। उनको कहां-कहां से सहायता मिल रही है इस बात की जांच करवाई जाएगी और किसी को गैरकानूनी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश मदरसा तालिमी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने इन खबरों को अफवाह बताया है। उनका कहना है कि मदरसों के सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और प्रदेश में 8441 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं, जिनमें 7 लाख 64 हजार से अधिक छात्र एवं छात्राएं शिक्षा प्राप्त करते हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस्लामिक मदरसों के सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। अब सरकार ऐसे इस्लामिक मदरसों को चिन्हित कर रही है, जो सरकारी जमीन पर बने हैं। हापुड़ जिले में ऐसे 21 मदरसे पाए गए हैं, जो सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं। इनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये मदरसे हापुड़, धौलाना और गढमुक्तेश्वर की तहसीलों में हैं।

अवधनामा (22 नवंबर) ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नेपाल-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गैर-मान्यता प्राप्त इस्लामिक मदरसों की आय के स्रोतों की जांच करवाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ नगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में 500 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त इस्लामिक मदरसे हैं। जबकि बलरामपुर में 400, लखीमपुर खीरी में 200, महराजगंज और बहराइच में 60 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। सरकारी जांच के अनुसार इन मदरसों को देश के अनेक बड़े नगरों से जकात का धन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इन्हें दुबई और नेपाल से भी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। सरकार इस बात की जांच कर रही

है कि क्या उन्हें विदेशी सहायता कानूनी तौर पर मिल रही है?

इंकलाब (24 नवंबर) के अनुसार उत्तराखंड के मदरसों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है और इन मदरसों का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा और इनमें गैर-मुस्लिम बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने पत्रकारों को बताया कि प्रारंभ में कुछ मदरसों को आधुनिक स्कूलों की तरह चलाया जाएगा और उनमें गैर-मुस्लिम बच्चों को भी दाखिल किया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कुछ मदरसों का चयन किया गया है। इन मदरसों में सुबह कुरान पाक पढ़ाया जाएगा और धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। दोपहर में इनमें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी।

रोजनामा सहारा (16 नवंबर) ने अपने संपादकीय में असम सरकार पर मुस्लिम विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि वहां पर आधारहीन आरोपों की आड़ लेकर मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब इस्लामिक मदरसों को समाप्त करने का फैसला किया गया है। हिमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने एक ताजा फरमान में सभी इस्लामिक मदरसों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने पाठ्यक्रम और अध्यापकों के बारे में पूरी जानकारी दें और इस बात की भी जानकारी दें कि उन्हें किन-किन स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है? असम पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि धार्मिक शिक्षा की आड़ में आतंकवादी इन इस्लामिक मदरसों में शरण न ले सकें। इसके अतिरिक्त जो अध्यापक असम में बाहर से आए हैं, उनके बारे में गुप्तचर पुलिस से जांच करवाई जाएगी।

समाचारपत्र ने कहा कि राज्य में कम-से-कम 1000 ऐसे मदरसे हैं, जो कि मुसलमानों के अपने चंदे से चलते हैं और वे सरकार से कोई सहायता नहीं लेते। हाल ही में तीन मदरसों को सरकार ने आतंकवादियों का पनाहगार करार देते हुए उन पर बुलडोजर चलाए हैं। गत तीन वर्षों में 100 से अधिक लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेते हुए पकड़ा गया है, जिनमें से दस लोगों का संबंध मदरसों से बताया जाता है। सरकार ने 2020 में सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को सरकारी स्कूलों में बदलने का फैसला किया था। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि असम सरकार मुसलमानों की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास कर रही है।

अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू

रोजनामा सहारा (16 नवंबर) के अनुसार तालिबान ने यह घोषणा की है कि अफगानिस्तान में पूर्ण रूप से शरिया कानूनों को लागू किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने विभिन्न अदालतों के न्यायाधीशों को निर्देश दे दिए हैं। शरई कानूनों के अनुसार अब अपराधियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाएगी और उन्हें पत्थर से मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोड़े मारने की सजा और शरीर के विभिन्न अंगों को काटने का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा।

डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने न्यायाधीशों के एक समूह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्हें शरई कानूनों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी 1992 में तालिबान ने जब सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने शरिया कानूनों को सख्ती से लागू किया था। मगर गत वर्ष पुनः सत्ता में आने के बाद तालिबान ने यह घोषणा की थी कि वे सत्ता के इस दौर में नरमी से काम लेंगे और शरिया कानूनों को सख्ती से लागू नहीं करेंगे। मगर सत्ता में आने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे शरिया कानूनों को लागू करना शुरू कर दिया। महिलाओं के बिना बुर्का पहने घर से बाहर निकलने या अकेले यात्रा करने को प्रतिबंधित कर दिया। महिलाओं और छात्राओं के सभी शिक्षा संस्थान बंद कर दिए गए। इसके अतिरिक्त महिलाओं और लड़कियों के पार्कों में जाने या नौकरी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके खिलाफ विश्व भर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका ने इसकी निंदा की थी, मगर तालिबान पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि चोरों, देशद्रोहियों, अपहरणकर्ताओं और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि इन अपराधों में लिप्त आरोपियों की फाइलों का अध्ययन किया जाए और उन्हें इस्लामिक कानूनों के तहत सजा दी जाए। शरिया में बलात्कार और अवैध यौन

संबंधों की सजा यह है कि आरोपी को जमीन में आधा गाड दिया जाए और उसे सार्वजनिक रूप से पत्थर से मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया जाए। तालिबान ने शराब पीने, मादक पदार्थों का सेवन करने और उसकी तस्करी करने वालों को भी शरा के अनुसार सख्त सजा देने का फैसला किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तालिबान इस्लामिक जगत में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 नवंबर) के अनुसार तालिबान ने देश की सभी मस्जिदों के इमामों को यह आदेश दिया है कि वे जुमे की नमाज के बाद एक समान ही खुतबा दें और तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा की फतह के लिए दुआ करें। प्रवक्ता ने कहा कि इस्लाम की परंपरा है कि शासक के लिए दुआएं की जाती हैं। हम पुरानी परंपराओं को लागू कर रहे हैं। अफगान नेशनल टेलीविजन के अनुसार देश में मस्जिदों और दीनी मदरसों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। देश के सभी विश्वविद्यालयों में इस्लामिक शिक्षा की अवधि में वृद्धि की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामिक शरिया को सख्ती से लागू करना हमारी सरकार का बुनियादी अधिकार है और इसी अधिकार के कारण महिलाओं एवं लड़कियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान में शरिया कानूनों को लागू कर दिया गया है और इसके बाद 11 पुरुषों और तीन महिलाओं को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा दी गई है। इन पर चोरी और अनैतिक गतिविधियों में भाग लेने का आरोप है। 'डॉन' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तालिबान सरकार के सूचना मंत्री ने कहा कि फिलहाल कोड़े मारने की सजा सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई है और आरोपियों को 39 से अधिक कोड़े नहीं मारे गए हैं। गौरतलब है कि तालिबान के पहले शासनकाल में आरोपियों को कोड़े मारने और उनके सिर व अंग काटने की सजाएं नेशनल स्टेडियम में सार्वजनिक रूप से दर्शकों के सामने दी जाती थीं।

अवधनामा (17 नवंबर) ने अपने संपादकीय में अफगानिस्तान में शरिया कानूनों को लागू करने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ होने के बाद पश्चिमी देशों को यह आश्वासन दिया था कि वे इस्लामिक शरिया कानून की सख्त सजाओं को लागू नहीं करेंगे। मगर अब वे अपनी पुरानी राह पर ही लौट आए हैं और उन्हें दुनिया के किसी भी देश की परवाह नहीं है। सबसे बुरी हालत अफगान महिलाओं की है, जिन्हें बिना बुर्का पहने घर से निकलने या नौकरी करने या फिर शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि तालिबान के सर्वोच्च नेता ने यह फैसला इस्लामिक जगत में शोहरत प्राप्त करने के लिए किया है। बेहतर यही होता कि इन सख्त कानूनों को लागू करने से पहले जनता को मानसिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता, ताकि वे शरा के अनुसार अपने आप को ढाल सकें।

मुंबई उर्दू न्यूज (28 नवंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान में शरिया कानूनों को लागू करने की आलोचना की थी और उसे अमानवीय और बर्बर कानूनों की संज्ञा दी थी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने संयुक्त राष्ट्र संघ की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि शरिया कानूनों और उसके तहत दी जाने वाली सजाओं पर टिप्पणी करना इस्लाम और शरिया की तौहीन करना है, जिसे कोई भी मुसलमान सहन नहीं करेगा। पश्चिमी देशों को हमारे पवित्र धर्म को निशाना बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की कि वह अपने प्रवक्ताओं को इस्लाम विरोधी बयान देने से रोके। ■

आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख

लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो आसिम मुनीर को आईएसआई के प्रमुख के पद से हटा दिया था और उनके स्थान पर अपने एक चहेते व्यक्ति को आईएसआई का प्रमुख बनाया था। इमरान खान मुनीर को सेना प्रमुख बनाने के खिलाफ थे और उन्होंने यह मांग की थी कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख का चयन करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जाए, जिसमें विपक्ष के नेता, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाए। मगर वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनके इस सुझाव को ठुकरा दिया।

इंकलाब (1 दिसंबर) के अनुसार सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। वे पाकिस्तान के 17वें सेना प्रमुख होंगे।

रोजनामा सहारा (30 नवंबर) के अनुसार जनरल आसिम मुनीर ने निवर्तमान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से कार्यभार ले लिया है। इससे पूर्व पाकिस्तानी सेना की एक परेड में जनरल बाजवा को विदाई दी गई। इस अवसर पर चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर एवं अन्य उच्चाधिकारी शामिल थे। जनरल बाजवा ने कहा कि जनरल मुनीर से मेरी दोस्ती 24 वर्ष पुरानी है। जनरल मुनीर हाफिज कुरान हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना में मेरा सफर 44 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, जो आज समाप्त हो गया है।

सियासत (25 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान में काफी समय से चल रही अटकलों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख

पाकिस्तानी समाचारपत्रों के अनुसार आसिम मुनीर पंजाबी हैं। उन्होंने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया था। बाद में उन्होंने ब्रिगेडियर के रूप में उत्तरी क्षेत्र की सेना की कमान संभाली थी। 2017 में उन्हें मिलिट्री गुप्तचर विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। जबकि अक्टूबर 2018 में उन्हें आईएसआई का प्रमुख बनाया गया था। इस समय वे आर्मी मुख्यालय में क्वार्टर मास्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे। जनरल आसिम मुनीर पहले ऐसे पाकिस्तानी सेना प्रमुख होंगे जो मिलिट्री गुप्तचर विभाग और देश की प्रमुख गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के प्रमुख रह

चुके हैं। जनरल राहिल शरीफ ने उन्हें मिलिट्री ऑपरेशन का महानिदेशक नियुक्त किया था और उन्होंने वजीरिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की थी। जनरल आसिम मुनीर 30 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले थे, मगर सेना प्रमुख बनाए जाने के कारण अब वे अगले तीन वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। पाकिस्तान के एक अन्य जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा हालांकि उनसे वरिष्ठ थे, मगर उन्हें नजरअंदाज किया गया है। मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इंकलाब (25 नवंबर) के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का इरादा जनरल मुनीर की नियुक्ति को अदालत में चुनौती देने का है और उन्होंने इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

रोजनामा सहारा (26 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी समाचारपत्र 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख को दो मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारना और दूसरा, सेना के प्रति पाकिस्तानी जनता में आस्था और विश्वास को बहाल करना। ब्रिटिश समाचारपत्र 'द टाइम्स' के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए छह नामों का पैनल राष्ट्रपति को भेजा था। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पद पर नियुक्ति का इसलिए भी खास महत्व है क्योंकि पाकिस्तान के 75 वर्षीय इतिहास में आधी अवधि तक सत्ता सेना के हाथ में रही है और अब भी यह स्थिति है कि सेना की मर्जी के बिना कोई सिविलियन शासक ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता।

इस वर्ष अप्रैल महीने में जब इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था, तो उन्होंने यह आरोप लगाया था कि उन्हें अपदस्थ करने के पीछे पाकिस्तानी सेना और अमेरिका का हाथ है। अपदस्थ होने के बाद इमरान खान की ओर से पाकिस्तानी सेना को जिस तरह से आलोचना का निशाना बनाया जा रहा है, उससे पाकिस्तानी जनता में सेना की साख को गहरा धक्का लगा है और सेना के भीतर मतभेद बढ़े हैं। इमरान खान ने खास तौर पर पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को अपना निशाना बनाया था।

अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मनोनीत

अवधनामा (25 नवंबर) के अनुसार मलेशिया के शाह सुल्तान अब्दुल्लाह ने एक फरमान जारी करके विपक्ष के पूर्व नेता अनवर इब्राहिम को नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। हालांकि उन्हें हाल के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। 222 सीटों वाली मलेशिया की संसद (दीवान राक्यात) में 112 सीटों पर विजय प्राप्त करने वाला ही बहुमत प्राप्त करता है। जबकि अनवर इब्राहिम को सिर्फ 82 सीटें ही प्राप्त हुई थीं। निवर्तमान प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन के नेतृत्व वाले गठबंधन को 73 सीटें प्राप्त हुई थीं।

गौरतलब है कि अनवर इब्राहिम को भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत ने छह वर्ष कैद की सजा दी थी और बाद में उसे बढ़ाकर आठ वर्ष कर दिया गया था। मगर मलेशिया की सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें पहले ही रिहा कर दिया था। अनवर इब्राहिम ने 2018 में मोहम्मद महातिर के साथ गठजोड़ किया था और यह तय हुआ था कि महातिर दो वर्ष के बाद प्रधानमंत्री पद अनवर इब्राहिम को सौंप देंगे। मगर बाद में वे इस समझौते से मुकर गए और उन्होंने अनवर इब्राहिम को प्रधानमंत्री बनाने से इंकार कर दिया।

सियासत (21 नवंबर) के अनुसार मलेशिया के 97 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को 53 वर्ष के राजनीतिक जीवन में पहली बार चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। गौरतलब है कि महातिर मोहम्मद को 2018 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री होने का दर्जा दिया था। महातिर ने अपने पहले शासनकाल (1981 से 2003) के दौरान बड़ी सख्ती से मलेशिया पर शासन किया था।

2018 में नजीब रजाक ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, मगर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें अपदस्थ कर दिया गया और अब वे 12 वर्ष कैद की सजा काट रहे हैं। महातिर 93वें जन्मदिन के सिर्फ दो महीने बाद दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। मगर सत्तारूढ़ मोर्चे में विवाद के कारण उन्हें दो वर्ष से भी कम अवधि में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा।

इंकलाब (25 नवंबर) के अनुसार हालांकि अनवर इब्राहिम के गठबंधन ने सिर्फ 82 सीटों पर ही विजय प्राप्त की थी, मगर बाद में उन्होंने कुछ छोटी पार्टियों के सांसदों को अपने गठबंधन में शामिल करके बहुमत प्राप्त कर लिया। समाचारपत्र के अनुसार अनवर इब्राहिम 1990 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री महातिर के शासनकाल में वे उप प्रधानमंत्री थे, तब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। अनवर इब्राहिम 30 वर्ष तक विपक्ष में रहे और इसके बाद अब वे सत्ता में पुन: आए हैं। उन्हें अनैतिक संबंधों और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण दस वर्ष तक कैद में रहना पड़ा।

रोजनामा सहारा (21 नवंबर) के अनुसार इस बार के चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी। बाद में अनवर इब्राहिम ने कुछ छोटी पार्टियों के सहयोग से संसद में बहुमत प्राप्त कर लिया और सुल्तान ने उन्हें प्रधानमंत्री मनोनीत कर दिया।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बंद

रोजनामा सहारा (21 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा 'चमन सीमा' को पुन: खोलने के बारे में दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता विफल हो गई है। इसलिए अब इस सीमा को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। गौरतलब है कि 13 नवंबर को अफगानिस्तान की सीमा से कुछ अज्ञात लोगों ने गोली चलाई थी, जिससे पाकिस्तान के तीन फौजी मारे गए थे और दो जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान ने इस घटना की जांच के लिए संयुक्त जांच करवाने और अपराधियों को पकड़ने पर जोर दिया था। मगर अफगानिस्तान सरकार ने इसे ठुकरा दिया। इसके अतिरिक्त इस सीमा से अफगान महिलाओं के पाकिस्तान में प्रवेश के बारे में भी

बताया जाता है कि हमला करने वाले मोटरसाइकिलों पर सवार थे और वे भागकर अफगानिस्तान की सीमा में चले गए।

इंकलाब (27 नवंबर) के अनुसार पकिस्तान के जिला बन्नू में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सशस्त्र आक्रमणकारियों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, जिसमें कम-से-कम तीन पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेवारी स्वीकार की है। इससे पूर्व आतंकवादियों ने एक पुलिस थाने पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था और अस्त्र-शस्त्र लूटकर फरार हो गए थे।

दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं खोजा जा सका।

रोजनामा सहारा (17 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया, जिसके कारण कम-से-कम छह पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए।

फ्रांस का सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास

मुंबई उर्दू न्यूज (17 नवंबर) के अनुसार फ्रांस ने अपने सैनिक इतिहास में सबसे बड़े सैनिक अभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें 12000 सैनिकों के भाग लेने की संभावना है। इस सैनिक अभ्यास में फ्रांस के सहयोगी नाटो देशों के सैनिक पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। इस अभ्यास की विधिवत घोषणा सरकारी तौर पर की गई है और यह संकेत दिया गया है कि ये सैनिक अभ्यास रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमले की पृष्ठभूमि में किए जा रहे हैं। इन सैनिक अभ्यासों की शुरुआत फरवरी 2023 से होगी, जो अगले चार महीने तक जारी रहेंगे। फ्रांस के सैनिक प्रवक्ता ने कहा कि हमारे लिए यह जरूरी है कि हम किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार रहें। पिछले दो दशक में हमारा वास्ता सिर्फ इस्लामिक जिहादियों से ही पड़ा है, इसलिए हमारे लिए अपनी सेना के पुनर्गठन और उसकी क्षमता को आंकने के लिए इस तरह का सैनिक अभ्यास करना जरूरी है।

फीफा विश्व कप की आड़ में इस्लाम का प्रचार

कतर ने फीफा विश्व कप की आड़ में इस्लाम के प्रचार और प्रसार का भरपूर इस्तेमाल किया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 नवंबर) ने इसे प्रमुख समाचार के रूप में प्रकाशित किया है। समाचारपत्र के अनुसार विश्व में पहली बार किसी फुटबॉल मैच के आयोजन की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई है। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व ही 850 लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने की घोषणा की। विवादित इस्लामिक प्रचार जाकिर नाइक ने न केवल इस मैच को देखा, बल्कि उसने गैर-मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित करने में बढ़-चढ़कर भाग लिया और उन्हें कलमा भी पढ़ाया। इस समारोह में आए लोगों को जाकिर नाइक ने इस्लाम धर्म पर कई भाषण भी दिए।

समाचारपत्र ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि पहली बार फीफा विश्व कप मैच में इस्लामिक परंपराओं का पालन किया गया है। इस आयोजन के दौरान शराब के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहा और समलैंगिकों को इस प्रतियोगिता के दर्शकों में शामिल होने से रोक दिया गया। महिलाओं के लिए पूर्ण परदे का प्रबंध भी किया गया। विश्व कप के उद्घाटन समारोह में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान, जॉर्डन के शाह अब्दुल्लाह, मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी और दुबई के शेखों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने अतिथियों का स्वागत किया। यह पहली बार है कि मध्य पूर्व के किसी देश में विश्व फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है।

इजरायलियों को इस समारोह में भाग लेने की इस शर्त पर अनुमति दी गई कि वे स्वयं को फिलिस्तीनी नागरिक के रूप में दर्ज करवाएं। पूरे कतर में जगह-जगह इस्लाम की आयतों और हदीसों के बैनर लगे हुए थे और उनमें इस्लाम का प्रचार करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। खास बात यह है कि नमाज की अजान शुरू होते ही सारे कार्यक्रम को रोक दिया जाता था। एक मैच में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में पूरे मुस्लिम विश्व में खुशी

मनाई गई। सऊदी अरब में आम अवकाश की घोषणा की गई। विजेता टीम के हर सदस्य को सऊदी अरब सरकार की ओर से एक-एक लग्जरी कार रोल्स-रॉयस फैंटम तोहफे के तौर पर पेश की गई।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 नवंबर) के अनुसार ब्राजील के एक परिवार के छह सदस्यों ने इस्लाम कबूल किया। इस परिवार में माता-पिता के अतिरिक्त चार बच्चे भी शामिल हैं। मां और उसकी तीनों बेटियां बुर्का पहने हुए थी। इससे पूर्व मैक्सिको के एक परिवार ने भी जाकिर नाइक के हाथ से इस्लाम कबूल किया। कतर ने फीफा विश्व कप मैच के दौरान इस्लाम के प्रचार के लिए कुरान की आयतें और विश्व भर की भाषाओं में उनका अनुवाद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर लगाया हुआ था।

सालार (24 नवंबर) ने एक विशेष लेख प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'कतर ने फीफा विश्व कप को दावत-ए-इस्लाम का जरिया बना दिया'। समाचारपत्र ने लिखा है कि हालांकि, कतर एक छोटा सा देश है, लेकिन वहां के शासक के अंदर इस्लाम की दावत की भावना बहुत जबर्दस्त है। कतर में इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के प्रचार का काफी असर है। इसके अलावा अल्लामा यूसुफ अल-करादावी की दावत-ए-इस्लाम से भी लोग बहुत प्रभावित हैं। यही कारण है कि कतर के शासक वर्ग ने फीफा वर्ल्ड कप को दावत-ए-इस्लाम व तब्लीग के लिए एक अच्छा मौका समझा। वहां के शासकों ने यह परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी? उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि अल्लाह ताला उनके कारनामों से कैसे खुश होगा? उन्होंने दुनिया को बता दिया कि दीन हक क्या है और इस्लाम क्या है?

समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि जब भारत में नूपुर शर्मा ने रसूल पाक पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले कतर के शासक ही थे। इसका असर भारत सरकार पर भी हुआ। हालांकि, कतर कोई बहुत बड़ा ताकतवर देश नहीं है। यह भी कहा जाता था कि हिंदुस्तान इस मैच का बहिष्कार करेगा। हालांकि हिंदुस्तान के बहिष्कार करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भारतीय फुटबॉल टीम वहां खेलने नहीं गई है। हिंदुस्तान को कतर में जाकिर नाइक को दावत देने पर भी आपत्ति है। हालांकि, जाकिर एक प्रचारक है, जो कि दुनिया भर में इस्लाम का शांतिपूर्वक प्रचार करता है। दुर्भाग्य से उस पर जो आरोप लगाया गया है उसका वह दोषी ही नहीं हैं और अब तक किसी सरकार और अदालत ने उसे दोषी नहीं ठहराया है। ऐसी हालत में अगर वे अच्छे काम के लिए कतर जाते हैं तो भारत को उस पर आपत्ति करने का क्या अधिकार है? कतर खेल के मैदान में तो हार गया, लेकिन मैदान से बाहर उसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया।

समाचारपत्र ने यह भी लिखा है कि यह छोटा सा देश गत 12 वर्षो से विश्व कप की तैयारियां कर रहा था, जिस पर उसने तीन अरब डॉलर खर्च किए हैं। वहां पर आठ नए स्टेडियम,

नया मेट्रो सिस्टम और अनेक सड़कों का निर्माण किया गया है। हवाई अड्डे का विस्तार किया गया है और 15 लाख दर्शकों के आवास के लिए 100 नए होटलों का निर्माण किया गया। कतर के शासकों ने दुनिया भर के मुसलमानों के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि वे दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतों से प्रभावित न हों और इस्लाम की दावत और तब्लीग का खुलकर प्रयास करें। दुनिया को खुश करने के लिए वे अपने खालिक (बनाने वाले) को नाराज न करें। कतर ने तमाम अरब देशों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इससे अरबों में एकता पैदा हुई है।

सालार (28 नवंबर) ने जफर आगा का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'फुटबॉल वर्ल्ड कप मुस्लिम जगत में एक क्रांति'।

रोजनामा सहारा (28 नवंबर) ने डॉ. मोहम्मद जियाउल्लाह का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि खेलों द्वारा इस्लामिक जगत को एकजुट किया जा सकता है।

इंकलाब (27 नवंबर) ने एक लेख हमना कबीर का प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि कतर ने जिस तरह से इस फुटबॉल मैच के सहारे विश्व भर में इस्लाम और कुरान का प्रचार किया है, वह पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने कतर के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान छेड़ दिया है।

रोजनामा सहारा (23 नवंबर) के अनुसार भारत ने जाकिर नाइक को फीफा विश्व कप में निमंत्रण देने का मामला कतर के साथ उठाया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि जाकिर नाइक मलेशिया का नागरिक है। आप उसे कहीं भी बुला सकते हैं। मगर उसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर बुलाने का क्या मतलब, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।

गौरतलब है कि जाकिर नाइक को फीफा विश्व कप में बुलाया गया था। भारत में जाकिर नाइक के खिलाफ उत्तेजक भाषण करने के आरोप में वारंट जारी हैं और वह काफी समय से देश से बाहर रह रहा है। 2016 में जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भारत ने अवैध घोषित किया था। इसके बाद जाकिर नाइक मलेशिया भाग गया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 नवंबर) के अनुसार फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में जाकिर नाइक की मौजूदगी पर भारत सरकार द्वारा विरोध किया गया है। इस पर कतर ने राजनयिक सूत्रों द्वारा यह दावा किया है कि उसने जाकिर नाइक को उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए कोई दावत नहीं दी थी। इस संदर्भ में कुछ देशों द्वारा झूठा प्रचार किया गया है, जो कि भारत और कतर के संबंधों को खराब करना चाहते हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 नवंबर) के अनुसार मिस्र के कुछ इस्लामिक विद्वानों ने फीफा विश्व कप के आयोजन का विरोध किया था और कहा था कि यह वक्त, पैसा और मेहनत की बर्बादी है। इसलिए यह मैच नाजायज है। मगर बाद में जनता के विरोध के बाद उन्होंने यह फतवा वापस ले लिया।

सऊदी अरब और थाइलैंड के बीच राजनयिक संबंध

इंकलाब (21 नवंबर) के अनुसार तीन दशक के बाद थाइलैंड और सऊदी अरब एक दूसरे के पुनः दोस्त बन गए हैं और दोनों के बीच राजनयिक संबंध पुनः स्थापित हुए हैं। गौरतलब है कि 1989 में नीले हीरे की चोरी और कुछ हत्याओं के बाद इन दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे और दोनों ने राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की थी। हाल ही में सऊदी अरब के युवराज ने थाइलैंड का दौरा किया और वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच पांच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें दोनों देशों के बीच व्यापार, पूंजी निवेश बढ़ाने, उर्जा के क्षेत्र में सहयोग देने और पर्यटन को प्रोत्साहन देने की चर्चा है। थाइलैंड को आशा है कि सऊदी अरब के पूंजी निवेश से उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। गौरतलब है कि थाइलैंड के एक नागरिक ने एक सऊदी राजकुमार का 20 मिलियन मूल्य का मशहूर नीला हीरा चुरा लिया था।

सियासत (18 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल-फालिह ने मीडिया को बताया कि सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के दक्षिणी कोरिया के दौरे के दौरान 26 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत सऊदी अरब दक्षिण कोरिया में पांच बिलियन डॉलर का पूंजी निवेश करेगा। कोरिया की पांच कंपनियों द्वारा सऊदी अरब में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन के लिए एक विशाल संयंत्र लगाया जाएगा, जिस पर साढ़े छह बिलियन डॉलर लागत आने की संभावना है। इस संयंत्र के निर्माण की शुरुआत 2025 में होगी और 2029 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस संयंत्र से 12 लाख टन हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन होगा।

इत्तेमाद (18 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब और इंडोनेशिया उर्जा के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने व्यापार में वृद्धि करने का भी फैसला किया है। इंडोनेशिया और सऊदी अरब ई-वाहनों की बैट्रियों के निर्माण की एक परियोजना शुरू कर रहे हैं।

ईरान में उग्र प्रदर्शन जारी

मुंबई उर्दू न्यूज (27 नवंबर) के अनुसार ईरानी सैनिकों ने सिस्तान और बलूचिस्तान में जुमा की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब के सैनिक तैनात किए गए हैं। जाहेदान में सुन्नी मुसलमानों ने कुर्दिस्तान के पक्ष में नारे लगाए।

अवधनामा (26 नवंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद ने यह आरोप लगाया है कि अब तक ईरान में हो रहे प्रदर्शनों के सिलसिले में 14 हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि 300 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जिनमें 40 बच्चे और 20 महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदर्शनों में भाग लेने के आरोप में अब तक सात लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। गौरतलब है कि एक कुर्द युवती महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है।

रोजनामा सहारा (11 नवंबर) के अनुसार ईरानी पुलिस की गोली से एक नौ वर्षीय बच्चे की मौत के बाद सरकार के विरूद्ध देशव्यापी उग्र प्रदर्शनों में और तेजी आई है। गौरतलब है कि ये प्रदर्शन गत दो महीने से जारी हैं। ईरानी मानवाधिकार संगठन के अनुसार कम-से-कम 350 लोग पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं। इक नौ वर्षीय बच्चे कियान पीरफलक की हत्या के बाद जब उसे कब्रिस्तान में दफन किया जा रहा था तो हिंसा भड़क उठी। ईरानी सरकार का कहना है कि इस बच्चे को आतंकवादियों ने मारा है। जबकि इस बच्चे की मां का कहना है कि उसकी आंखों के सामने ईरानी सेना ने उसके बच्चे को गोली मारी थी।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान के सूबा कर्मानशाह में ईरान के गुप्तचर विभाग के प्रमुख की हत्या कर दी गई। सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि दंगाईयों ने सुरक्षा सैनिकों पर हमला किया था, जिसके कारण कर्नल नादिर बैरामी मारा गया। सैनिकों ने उनके हत्यारों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी घातक हथियारों से पुलिस पर हमला कर रहे हैं, जिसमें कम-से-कम नौ लोग मारे जा चुके हैं।

इंकलाब (23 नवंबर) के अनुसार पुलिस ने ईरान की दो लोकप्रिय फिल्म कलाकारों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने स्कार्फ पहनने से इंकार कर दिया था।

इतेमाद (21 नवंबर) के अनुसार ईरान के वरिष्ठ नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने आरोप लगाया है कि देश में जो सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके पीछे विदेशी हाथ हैं और वे ईरान की इस्लामिक सरकार का तख्ता पलटना चाहते हैं।

रोजनामा सहारा (28 नवंबर) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें ईरान की सर्वोच्च नेता की भांजी फरीदा मोरादखानी ने देश में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए ईरान सरकार को कातिल और बच्चों का हत्यारा बताया है। इस बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रेडियो फरदा पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में उन्होंने विश्व भर के देशों से अपील की है कि वे ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ लें।

इराक में ईरान और तुर्की के हवाई हमले का विरोध

इत्तेमाद (23 नवंबर) के अनुसार उत्तरी इराक में कुर्दिस्तान पर ड्रोन और मिसाइलों द्वारा ईरानी बमबारी की इराक के विदेश मंत्रालय ने निंदा की है और कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुर्दिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर ईरान और तुर्की द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं, वह इराक की संप्रभुता का उल्लंघन है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने सीरिया में ईरान और तुर्की के हमलों की निंदा की है और कहा है कि इस संबंध में तुर्की को हमने अपनी नाराजगी से अवगत करा दिया है और कहा है कि वे भविष्य में ऐसी कार्रवाई न करें। हमने सीरिया के नेताओं को भी यह सलाह दी है कि वे ऐसी कोई हरकत न करें, जिससे तनाव और बढ़े। हम किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई की निंदा करते हैं, जिससे सीरिया में हालात अस्थिर हों या इराक में मासूम लोगों को निशाना बनाया जाए। गौरतलब है कि कुछ सप्ताह पूर्व इस्तांबुल में हुए एक धमाके में छह लोग मारे गए थे। तुर्की सरकार ने इस धमाके के पीछे प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सीरियन पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट का हाथ बताया था।

इत्तेमाद (22 नवंबर) के अनुसार इराक ने यह आरोप लगाया है कि ईरान ने इराकी स्थानों पर हमले किए हैं और इसके पीछे ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब का हाथ है। ईरान में कुर्दों के सबसे बड़े संगठन पीडीकेआई के अनुसार ईरान सरकार कुर्दों की आजादी के आंदोलन को कुचलने में विफल रही है। इसलिए वह बौखलाकर इराक के कुर्द बहुल क्षेत्रों पर हवाई हमले कर रही है।

इंकलाब (26 नवंबर) के अनुसार तुर्की ने रूसी चेतावनी को ठुकराते हुए कहा है कि वह सीरिया और इराक में अपने सैनिक हमले जारी रखेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में रहने वाले कुर्द तुर्की में हिंसा फैला रहे हैं।

इत्तेमाद (20 नवंबर) के अनुसार तुर्की के विदेश मंत्री मेवलट कावुसोगलु ने कहा है कि पूर्वी सीरिया और उत्तरी इराक में कुर्दों के खिलाफ हमारी फौजों के हमले जारी रहेंगे और हम इनको किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्तांबुल में हुए धमाकों के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका संबंध कुर्द उग्रवादियों से है।

लीबिया से घुसपैठिए निष्कासित

इंकलाब (26 नवंबर) के अनुसार लीबिया में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले 200 से अधिक विदेशी नागरिकों को निष्कासित करके उन्हें स्वदेश भेज दिया गया है। इन घुसपैठियों का संबंध मिस्र, नाइजीरिया और सूडान से था। लीबिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पहली बार लीबिया से घुसपैठियों को निष्कासित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लीबिया घुसपैठियों का केंद्र बन गया है, जो कि अवैध रूप से भूमध्य सागर को पार करके यूरोपीय देशों में पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में सैकड़ों लोग समुद्र में डूब मरे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार इस वर्ष 20 हजार से अधिक घुसपैठियों को समुद्र में डूबने से बचाया गया है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

इंडोनेशिया में विशाल मस्जिद का निर्माण

इत्तेमाद (16 नवंबर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल-नाहयान ने इंडोनेशिया के प्रमुख शहर सोलो में एक विशाल मस्जिद का उद्घाटन किया। यह मस्जिद संयुक्त अरब अमीरात ने बनवाई है। इसमें 56 गुंबद, चार मीनार और 32 स्तम्भ हैं और इसमें दस हजार नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने संयुक्त अरब अमीरात का आभार व्यक्त किया।

दिल्ली नगर निगम चुनाव में मुस्लिम मजलिस के 15 उम्मीदवार

इत्तेमाद (22 नवंबर) के अनुसार दिल्ली नगर निगम के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और एक निर्दलीय दलित उम्मीदवार का समर्थन किया है। मजलिस ने इन चुनावों में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में उतारने की घोषणा की थी, मगर इनमें से दो उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हो गए, जिनके नाम रेशमा, पत्नी जहांगीर फिरदौस और मोहम्मद जहांगीर खान शामिल हैं। मजलिस की ओर से सुंदर नगरी वार्ड से निर्दलीय दलित उम्मीदवार चित्रा शालिनी का समर्थन किया जा रहा है। मजलिस ने 2017 में 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से कोई सफल नहीं हुआ था। खास बात यह है कि मजलिस ने इस बार एक हिंदू महिला को भी मैदान में उतारा है, जिनका नाम श्रीमती वेद, पत्नी श्री नारायण सिंह है।

भोपाल में तब्लीगी जमात का इज्तिमा

मुंबई उर्दू न्यूज (19 नवंबर) के अनुसार भोपाल में तब्लीगी जमात का विश्व तब्लीगी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दस लाख से अधिक मुसलमान शामिल हुए। इसमें देश के 467 जमातों ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन चार दिन जारी रहा। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों के लिए 30 लाख वर्ग फीट में शिविर लगाए गए और 17 किलोमीटर लंबी पानी की पाइप लाइन बिछाई गई थी। मजेदार बात यह है कि इस इज्तिमा में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को सिर्फ शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध कराया गया। फूड जोन में दो लाख लोगों के एक साथ भोजन करने की व्यवस्था की गई थी। पार्किंग के लिए 300 एकड़ भूमि में व्यवस्था की गई। यह पहली बार है जब तब्लीगी जमात ने विदेशियों को इस इज्तिमा में आने का आमंत्रण नहीं दिया है। इज्तिमा की व्यवस्था के लिए 20 हजार रजाकारों को नियुक्त किया गया था।

पाकिस्तान के मुफ्ती आजम का निधन

मुंबई उर्दू न्यूज (20 नवंबर) के अनुसार विश्व विख्यात इस्लामिक विद्वान और पाकिस्तान के मुफ्ती आजम रफी उस्मानी का कराची में निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख मौलाना ताहिर अशरफी, जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख सिराज उल हक और जमीयत उलेमा पाकिस्तान के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने शोक व्यक्त किया है।

गैर—मुस्लिम बच्ची ने कुरान पाठ की प्रतियोगिता जीती

मुंबई उर्दू न्यूज (23 नवंबर) के अनुसार केरल में एक गैर-मुस्लिम लड़की ने अखिल भारतीय कुरान पाठ की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उसे पुरस्कार भी दिया गया है। इस बच्ची का नाम पार्वती है। पार्वती के पिता का नाम नलिश बॉबी है, जो कि आईआईटी के प्रोफेसर हैं। जबकि उसकी मां का नाम दीना प्रभा है, जो कि अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं। पार्वती कोझिकोड में चौथी कक्षा की छात्रा है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

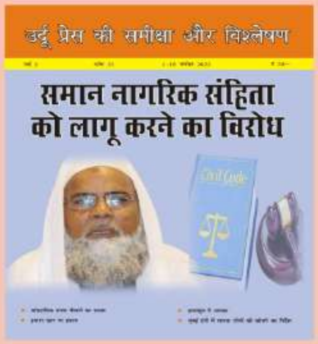

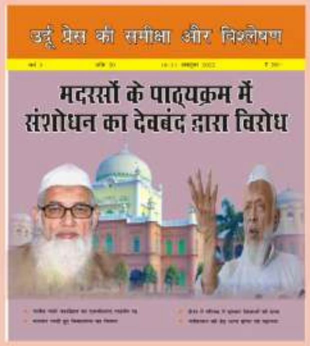

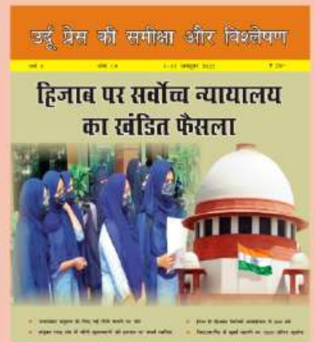

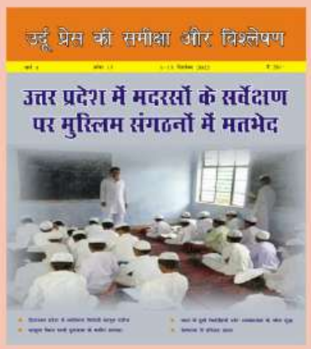

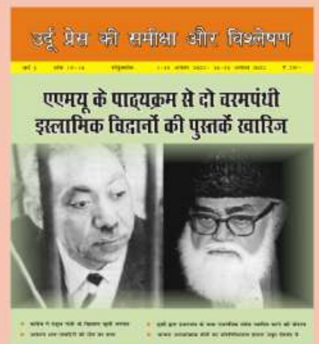

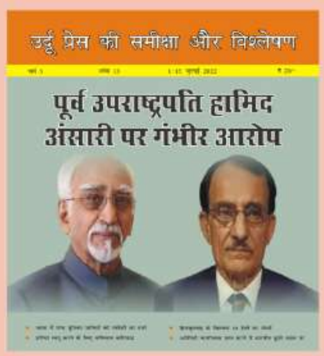

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in